

कलकत्ता में पि. --- क्षेत्र ग्राहण सा. देह गैर लाये।  
 व. कल - भजन पुन विद्या सागर व सूरज पुन गंगा बहाय  
 व. कलानी पुन जगन्नाथ क्षेत्र ग्राहण सा. देह व. वि. कराकर  
 से साल 9- दर्ज होना पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त  
 अनुभव राजस्व अर्थमन्त्र के विवेचन से वि. 376 लाये।  
 सं. 376 वादीगण के पूर्व ग्राहण पुन रतीराम को  
 उरोनाई के वन में जमीन दान दी गई थी कि उना  
 मन्त्र है जिस पर उसके वादीगण भजन पुन विद्या-  
 सागर, सूरज पुन गंगा (सा. देह) एवं जसवंत पुन जगन्नाथ  
 को विद्या कराकर कलकत्ता करते रहे हैं। जिससे उत्पन्न का 1/3  
 देना होना रीकॉर्ड व पदकालन द्वारा प्रत्यक्ष राजीनामा  
 में स्पष्ट होता है। नकल जलकंधी सं. 1936 में ग्यालीभा  
 पुन रतीराम सही दर्ज है तथा इसके बाद न. रीकॉर्ड  
 में लिपिकीय भूल से ग्याली व रतीराम पि. --- दर्ज  
 हो गया जो कारकिल दुकाली है। उक्त गालत इन्डागाल  
 के द्वारा पदाकारान के नाम निराकर भी दर्ज नहीं हुई है।  
 वादीगण प्रतिवादी सं. 1 सं. 14 के राजीनामा प्रत्यक्ष कट  
 करके रीकॉर्ड अनुभव 1/3 1/3 हिस्से पर कारकिल होना  
 तथा इसी अनुभव लाये हुए को रीकॉर्ड करने का अनुभव  
 किया है। इस प्रकार दवा मुताबिक राजीनामा डिडी  
 दर्ज होने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि - दवा वादी -  
 मुताबिक राजीनामा डिडी किया जाता है। आ. व. नं.  
 1/2/25 व. के ग्राम जालू की तहसील नगर पर क्षेत्रगत इंडाग  
 कलकत्ता क्रिये जाते हैं तथा वादी को 1/3 हिस्सा पर, प्रतिवादी  
 सं. 1, 2, 3 को बाई कराकर 1/4 हिं, प्रतिवादी सं. 4 को हिं 1/4, प्रतिवादी  
 सं. 5 को हिं 1/4 प्रतिवादी सं. 6, 7 को बाई कराकर हिं 1/4 दर  
 हिं 1/3, प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 को बाई कराकर हिं 1/4,

उपखण्ड अधिकारी  
 नगर (भरतपुर) गज 6

क्रमांक: S.D.O. (A.C.E.M.) नगर कैम्प जाल्मू के  
चक्र सं 118/13 दीन दयाल प/5 इतिहास नमो ०

5

प्रतिवादी सं 12 को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी 13 को हि 1/4 प्रति  
सं 14 को हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/3 का खातेदार का मतभार -  
घोषित किया जाता है इसे उक्त फर्क डिक्री जोड़े हो

(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नगर (भरतपुर) गज०

निर्णय आज दिनांक 19.5.2018 को खिवाभा  
जानक मजमे काम कैम्प जाल्मू के सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नगर (भरतपुर) गज०